

रजिस्ट्रेशन का प्राधिकरण

संस्था का रजिस्ट्रेशन आईटीडी द्वारा अनुमोदन के आधार पर होगा.

एनएसडीएल विधिवत् भरे तथा हस्ताक्षरित दस्तावेजों (रजिस्ट्रेशन फॉर्म, निबंधन एवं शर्तें, प्राधिकरण पत्र) की प्राप्ति, भुगतान की वसूली, पैन / टैन विवरणों (टैन / पैन मास्टर के पास रजिस्ट्रेशन में उल्लिखित विवरण) तथा डीएससी विवरणों के सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद ही आईटीडी को संस्था का रजिस्ट्रेशन अनुरोध भेजेगा.

सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाने पर संस्था को आठ अंकों का एक यूजर आईडी दिया जाएगा. प्राधिकरण स्थिति तथा विवरण ई-मेल द्वारा सूचित किये जाएंगे.

आईटीडी द्वारा रजिस्ट्रेशन अनुरोध अस्वीकार किये जाने पर ही रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस किया जाएगा.